

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

डी. के. एस. परिसर, रायपुर 492001,

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

क्रमांक / 1 / स्था. / राज. / महा. / प्रवेश / 2021-22 / 1174 . रायपुर, दिनांक - 4 APR 2022

बी.ए.एम.एस. / बी.एच.एम.एस. / बी.यू.एम.एस. / बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में

सत्र 2021-22 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु

द्वितीय ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सूचना :-

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक File No. L-14030/12/2022-EP-1 दिनांक 30.03.2022 द्वारा आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक (पर्सन्टाइल) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2021 की प्रावीण्यता सूची के पात्र एवं छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 की कंडिका 3 अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी एवं गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो राज्य कोटे की आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं, वे अभ्यर्थी दिनांक 06.04.2022 से 10.04.2022 तक ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार दिनांक 10.04.2022 को मध्य रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है।

Category		Revised Qualifying Criteria	Marks Range
अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	निल	45 th Percentile	720-122
	दिव्यांग	40 th Percentile	121-108
अन्य पिछड़ा वर्ग	निल	35 th Percentile	121-096
	दिव्यांग	35 th Percentile	107-096
अनुसूचित जाति	निल	35 th Percentile	121-096
	दिव्यांग	35 th Percentile	106-096
अनुसूचित जनजाति	निल	35 th Percentile	121-096
	दिव्यांग	35 th Percentile	107-097

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक जानकारियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार cghealth portal में आयुष विभाग के वेबसाइट एवं आयुर्वेदिक कॉलेज के वेबसाइट पर अवलोकन किया जा सकता है:-

1. www.cghealth.nic.in/ehealth/dishm/counsellinginfo.html
2. www.gacraipurcg.in
3. www.gac.bilaspur.gov.in

मान्यता/संबद्धता प्राप्त आयुष महाविद्यालयों की उपलब्ध सीटों पर ही काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फंसे।


संयुक्त संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

